न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण प्र. क्र. / /2016 जिला छतरपुर

अरविन्द पुत्र विमल कुमार जैन निवासी बंमनौराकला तहसील धुवारा जिला छतरपुर म.प्र ....आवेदक

बनाम

1. बालचंद्र पुत्र दयाराम लोधी निवासी बंमनौराकला हालनिवास ए-529 गली नं. 14 महावीर इन्क्लेब पार्ट 2 नई दिल्ली
2. श्रीमती कमला देवी उर्फ निमिया उर्फ बिनिया पुत्र दयाराम लोधी पत्नी सुजान सिंह लोधी निवासी हाल एल.4जे.जे कॉलोनी रघुवीर नगर नई दिल्ली
3. भारे पुत्र दयाराम लोधी निवासी बंमनौराकला तहसील धुवारा जिला छतरपुर
4. श्रीमती भगुंतिया पुत्री दयाराम लोधी चुन्टा लोधी निवासी खरदौती तहसील बड़ा मलहरा जिला छतरपुर
5. श्रीमती पुनिया पुत्र दयाराम पत्नी दल सिंह लोधी निवासी सेडारा तहसील बकस्वाहा जिला छतरपुर.......अनावेदकगण

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग बड़ामलहरा जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्र. 12/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 05.05.2016 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है'-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग बड़ा मलहरा द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1870-एक/2016 जिला छतरपुर

अरविन्द विरूद्ध बालचंद्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बडामलहरा जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 12/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 05-05-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 15-05-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) सदस्य 18/03/19	